

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.18()89/तक./प्रमुवसं/

दिनांक

01.2017

कार्यालय आदेश

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) के कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का वार्षिक प्रशासनिक निरीक्षण वर्ष 2016-17 का किया जाना निम्नानुसार प्रस्तावित है। इस कार्यालय के निम्नांकित लोक सेवक सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही प्रशासनिक निरीक्षण प्रतिवेदन पर चर्चा हेतु निम्न अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण कृपया उपस्थित रहेंगे:-

क्र. सं.	निरीक्षण दल की संख्या एवं सदस्य	कार्यालय जिनका वा.प्र. निरी. किया जाना है	निरीक्षण अवधि	उक्त प्रतिवेदन पर चर्चा करने वाले अधिकारीगण
1	निरीक्षण दल- प्रथम श्री मो० इकबाल, सहा० प्रसा० अधि० श्री बी.के. कूलवाल, स० का० अधि० श्री अरूप बनर्जी, लिपिक ग्रेड-आ	मु.व.सं., जोधपुर मु.व.सं., अजमेर प्र.मु.व.सं., जयपुर	18-20/01/2017 15-17/02/2017 06-08/03/2017	अप्रमुवसं (L&I.) जयपुर मुवसं. अजमेर
2	निरीक्षण दल-द्वितीय श्री सीताराम बैरवा, स० का० अधि० श्री फतेह बहादुर, लिपिक ग्रेड-आ श्री दिनेश कु. शर्मा, लिपिक ग्रेड-आ	मु.व.सं., उदयपुर मु.व.सं., भरतपुर मु.व.सं., जयपुर	18-20/01/2017 15-17/02/2017 06-08/03/2017	अप्रमुवसं(CAMPA), जयपुर अप्रमुवसं(WP&FS), जयपुर अप्रमुवसं (DEV.), जयपुर
3	निरीक्षण दल- तृतीय श्री जे.आर. राजोरिया, स० का० अधि० श्री प्रसन्न कुमार गोधा, स० का० अधि० श्री केसर मल, लिपिक ग्रेड-आ	मु.व.सं., कोटा मु.व.सं., बीकानेर	18-20/01/2017 15-17/02/2017	अप्रमुवसं (H.Q.), जयपुर अप्रमुवसं (PF&C), जयपुर

कार्यालय हाजा के वार्षिक प्रशासनिक निरीक्षण हेतु उप वन संरक्षक, (समन्वय) कार्यालय हाजा को अधिकृत किया जाता है। निरीक्षण दल-प्रथम द्वारा उप वन संरक्षक, (समन्वय) कार्यालय हाजा के नेतृत्व में उक्त निरीक्षण कार्य सम्पादित किया जावेगा। उक्त निरीक्षण दल वार्षिक प्रशासनिक निरीक्षण का कार्य उक्तानुसार सम्पादित कर निरीक्षण अवधि के 15 दिवस पश्चात तैयार कर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे ताकि समय पर पालना सुनिश्चित हो सके।

हस्ता

(दीपक भटनागर)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.18()89/तक./प्रमुवसं/ 10-63

दिनांक 04.01.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित कर निवेदन है कि अधीनस्थ कार्यालयों का प्रशासनिक निरीक्षण अगर बाधित हो रहा हो तो, कृपया संशोधित करें:-

1. अ.प्र.मु.व.सं (L&L/CAMPA/DEV./WP&FS/PF&C./H.Q.). राज., जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
2. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff), राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर।
4. वित्तीय सैलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्र.मु.व.सं., राजस्थान, जयपुर।
6. उप वन संरक्षक, (जॉच/अराज-संस्थापन), अरण्य भवन, जयपुर।
7. उप वन संरक्षक, (समन्वय) कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि कार्यालय हाजा का वार्षिक प्रशासनिक निरीक्षण हर हाल में तैयार कर अधाहस्ताक्षरकर्ता को 15 दिवस में प्रस्तुत करें।
8. प्रभारी, समस्त अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सर्वश्री
10. रक्षी पत्रावली।

(हंसराज), I.F.S.

उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज., जयपुर

Web Side
Up load
21/1/17
C. K. K. K.